

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख नं० ०३/२०२०-२१

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जीव एवं कार्यवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/3/19	<p style="text-align: center;">झारखंड सरकार के आदेश नं०-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० न० नि०-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय पत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जीव प्रारंभ की गयी। जिन के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p style="text-align: center;">मौजा- <u>कोला कुंदा</u> मीजा नं०- <u>12</u> खाता नं० <u>142</u></p> <p>प्लॉट नं० <u>1303, 1310</u> रकबा <u>३६३</u> की भूमि जो गैरमजदूरा खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>18</u> के पृष्ठ संख्या <u>3280</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्री धर्मनाथ सिंह पि रक्ष लक्ष्म सिंह</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिध प्रतिवेदित किया गया है। जीव प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सलम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोठकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राश्या के लिये कार्यित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जीव किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जीव प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>१५/१९</u> को रखे।</p>	

  
 अंचल अधिकारी  
 धनबाद।

11/19

अभिलेख उपस्थापित एवं अचल निरीक्षक से मंतव्य / प्रतिवेदन अर्थात् है।  
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

23/4/19

अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 21/5/19 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक  
29/06/20 को रखें।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

29/06/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मीजा  
कौला कुशामा मीजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट  
नं० 1303, 1310 रकबा 3 ऊठ्ठू भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत  
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० (.....) के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।

अचल अधिकारी,  
धनबाद।

अचल अधिकारी,  
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

बाद अगिलेख संख्या- \_\_\_\_\_ / 2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्री धर्मनाथ सिंह  
फिर अय्यर वच्चु सिंह  
श्री कौला कुशामा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-कौला कुशामा खाना नं०-12 खाता नं०-142 खेसरा नं०-1303/1304 रकबा-2.52 से संबंधित आपके नाम से ह० नं०-62 के पंजी-II भाग-12 के पृष्ठ-52, 50 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जौचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।


अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- \_\_\_\_\_ को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मृतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुरासा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि-

मुहर

  
अंचल अधिकारी

स्थान-

# संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4143

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री वर्षा नाथ सिंह वि स्वा बच्चु सिंह  
एवं - सुदाम डेह

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	खाना सं०	खाला सं०	फॉट सं०	रकबा
<u>कौलाकुशग</u>	<u>12</u>	<u>142</u>	<u>1303</u> <u>1310</u>	<u>3 अ० 5</u>

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ...18... पृष्ठ सं० ...32, 33, 34... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2006/07

5. खतियान को अनुसार उपरोक्त भूमि को खातेदार का नाम :- गैर आबाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो बस्ती/ दा० खा० मु० सं० 97/8  
(1) 2006/07 के आदेश 2113 और 697 से कायम

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री मति काल देवी  
एवं 31-4

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्वाचित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -  
m/c No 303 (1) 86/87 from Thika No 288 से 2114

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अधिकतम लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>01</u>	<u>1981404</u>	<u>28/2/07</u>	<u>2006/07</u>
<u>02</u>	<u>697353</u>	<u>5/3/16</u>	<u>11-12 + 15-16</u>